भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 989

दिनांक 25 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

महिला सशक्तिकरण योजनाएं

989. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, आंगनवाड़ी सेवाओं और पोषण अभियान योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त राज्य में झुन्झुनू लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित स्वयं सहायता समूहों और कौशल विकास कार्यक्रमों सहित महिला सशक्तिकरण पहलों के माध्यम से लाभान्वित महिलाओं की जिलावार और वर्षवार संख्या कितनी है;

(ग) उक्त राज्य में कुपोषित बच्चों की संख्या में कितनी वृद्धि/कमी हुई है और पोषण स्तर में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) सरकार द्वारा विगत दो वर्षों के दौरान महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित योजनाओं के लिए उक्त राज्य को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी निधि का उपयोग किया गया है;

(ड.) क्या सरकार महिला सुरक्षा, हेल्पलाइन सेवाओं और सहायता के लिए डिजिटल प्लेटफार्म बनाने हेतु नई पहल करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): राजस्थान में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, आंगनवाड़ी सेवाओं और पोषण अभियान योजनाओं की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

(i) **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी):** बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना 22 जनवरी 2015 को घटते बाल लिंगानुपात (सीएसआर) को कम करने और बालिकाओं एवं महिलाओं के सशक्तीकरण के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू की गई थी। यह

योजना विभिन्न हितधारकों को सूचित, प्रभावित, प्रेरित,और सशक्त बनाकर बालिकाओं के प्रति मानसिकता और व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास करती है।

सरकारी एजेंसियों, मीडिया, नागरिक समाज और आम जनता सहित हितधारकों को संगठित करके बीबीबीपी नीतिगत पहल से राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित हो गया है। यह आंदोलन न केवल लिंगानुपात और लिंग आधारित भेदभाव से संबंधित तात्कालिक चिंताओं को उजागर करता है, बल्कि बालिकाओं के महत्व को समझने और उनके अधिकारों तथा अवसरों की प्राप्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक सांस्कृतिक बदलाव को भी बढ़ावा देता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एच एमआईएस) की नवीनतम रिपोर्ट दर्शाता है कि वर्ष 2014-15 से **वर्ष 2023-2024 के दौरान राजस्थान राज्य में एसआरबी 929 से बढ़कर 941 हो गया है।** इसके अलावा, माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में बालिकाओं का नामांकन वर्ष 2014-15 में **65.35 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में राजस्थान राज्य में 79 प्रतिशत** हो गया है [यूडीआईएसई-डेटा, एमओई के अनुसार]।

(ii) **मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0**: 15वें वित्त आयोग के तहत, कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की आयु) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(ख): पिछले पाँच वर्षों के दौरान झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र सहित राजस्थान में महिला सशक्तीकरण पहलों से लाभान्वित महिलाओं की संख्या का वर्ष-वार, ज़िला-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में संलग्न है। शक्ति सदन और सखी निवास योजनाओं के अंतर्गत ज़िला-वार लाभार्थी आँकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग): राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (वर्ष 2019-21) और पोषण ट्रैकर (जून 2025 तक)

संकेतक	**एनएफएचएस -5 (2019–21)**	**पोषण ट्रैकर (जून 2025)**
ठिगनापन	31.8%	36.0%
दुबलापन	16.8%	6.0%
अल्पवजन	27.6%	17.0%

के अनुसार, राजस्थान राज्य में कुपोषण की स्थिति इस प्रकार है-

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत, सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और प्रचार-प्रसार जैसी क्रियाकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने और स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार हेतु एक नई कार्यनीति बनाई गई है। यह कार्यनीति आयुष पद्धतियों के माध्यम से मातृ पोषण, शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार मानकों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और तंदुरुस्ती पर केंद्रित है ताकि कुपोषण, बौनापन, एनीमिया और कम वजन की व्यापकता को कम किया जा सके।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से समुदाय के बच्चों में गंभीर कुपोषण की रोकथाम और उपचार तथा इससे जुड़ी रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) प्रोटोकॉल जारी किया है। इस समुदाय-आधारित दृष्टिकोण में समुदाय में गंभीर कुपोषण से ग्रस्त बच्चों का समय पर पता लगाना और उनकी जाँच करना, बिना किसी चिकित्सीय जटिलता वाले बच्चों का घर पर ही पौष्टिक, स्थानीय खाद्य पदार्थों के माध्यम से प्रबंधन एवं सहायक चिकित्सा देखभाल शामिल है। सीएमएएम प्रोटोकॉल में 6 महीने से 6 वर्ष तक के उन बच्चों के लिए भूख परीक्षण और स्क्रीनिंग प्रक्रिया शामिल है जो गंभीर रूप से कुपोषित (एसएएम) या गंभीर रूप से कम वजन (एसयूडब्ल्यू) से ग्रस्त हैं। जाँच के बाद, ऐसे बच्चों को आगे की देखभाल के लिए पोषण पुनर्वास केंद्रों (एनआरसी) या अस्पतालों में भेजा जाता है।

सीएमएएम प्रोटोकॉल के अंतर्गत निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

चरण-1: बच्चों की वृद्धि निगरानी
चरण-2: एसएएम बच्चों के लिए भूख परीक्षण
चरण-3: एसएएम बच्चों का चिकित्सा मूल्यांकन
चरण-4: कुपोषित बच्चों की देखभाल के स्तर का निर्धारण
चरण-5: पोषण प्रबंधन
चरण-6: चिकित्सा प्रबंधन
चरण-7: पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा और वाश (WASH)प्रथाओं सहित परामर्श
चरण-8: आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का दौरा और रेफरल
चरण-9: निगरानी की अवधि
चरण-10: अनुवर्ती देखभाल

(घ): पिछले दो वर्षों के दौरान महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान राज्य सरकार को जारी/उपयोग की गई निधि का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

(ड.) और (च): मंत्रालय ने मिशन शक्ति डैशबोर्ड शुरु किया है, जो एक व्यापक वेब-आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली है जिसे मिशन शक्ति दिशानिर्देशों के अनुसार तत्समयक

निगरानी के लिए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य ओएससी के माध्यम से लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की निगरानी को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ बनाना है। यह वेब-सक्षम निगरानी प्रणाली एक उपयोगकर्ता-अनुकूल पोर्टल है जो डेटा गोपनीयता का उचित ध्यान रखते हुए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्रदान करता है। यह सेवा प्रदायगी संरचनाओं की स्थापना, ओएससी के स्थान, प्रदान की जा रही सेवाओं, ओएससी कर्मचारियों और लाभार्थियों के बारे में सटीक जानकारी सहित कार्यक्रमों की निगरानी को सक्षम बनाता है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए महिला हेल्पलाइन हेतु एक राष्ट्रीय डैशबोर्ड शुरु कर दिया गया है। इसके अलावा, कॉल ऑपरेटरों के लिए मार्च, 2024 में व्यापक निर्देशिका, खोज और रिपोर्टिंग विकल्पों जैसी उन्नत सुविधाओं वाला सॉफ्टवेयर 2.0 शुरू किया गया है। इससे कॉल ऑपरेटरों की परिचालन दक्षता में सुधार हुआ है।

एक नया पोर्टल, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाई सॉफ्ट), तैयार किया गया है और मार्च, 2023 में शुरू किया जाएगा। पीएमएमवीवाई सॉफ्ट के तहत, यूआईडीएआई के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण डिजिटल रूप से किया जाता है और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा सत्यापन सुनिश्चित किया जाता है ताकि निधि सीधे उनके डीबीटी-सक्षम आधार-संबद्ध बैंक या डाकघर खातों में अंतरित की जा सके। इस योजना का कार्यान्वयन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्रीय पदाधिकारियों के माध्यम से ऊपर उल्लिखित नए सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है। योजना के सुचारू वितरण और व्यापक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए पीएमएमवीवाई पोर्टल में कई सुधार किए गए हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

o पीएमएमवीवाई पोर्टल पूरी तरह से कागज़ रहित है।

o आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री स्तर से ही मोबाइल-ऐप आधारित है और लाभार्थियों के घर तक सेवाएँ प्रदान करता है।

o भुगतान आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली [एबीपीएस] के माध्यम से होते हैं।

o पीएमएमवीवाई पोर्टल आवेदकों की पहचान की पुष्टि के लिए आधार-आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन (चेहरे की पहचान के माध्यम से) के लिए सक्षम है।

o आधार सत्यापन, बैंक खाते की डीबीटी सक्षमता आदि जैसे सभी अनिवार्य प्रावधानों की जाँच पंजीकरण के समय तेज़ प्रक्रिया के लिए की जाती है।

o सभी नामांकित लाभार्थियों के लिए उनके आवेदनों की स्वीकृति और भुगतान की स्थिति की जाँच करने हेतु खोज एवं स्थिति ट्रैक करना ।

o सभी नागरिकों के लिए पीएमएमवीवाई से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करने हेतु शिकायत दर्ज करने और स्थिति मॉड्यूल है । यह मॉड्यूल सीधे कार्यान्वयन अधिकारियों को शिकायत भेजता है जिससे समय की बचत होती है तथा त्वरित समाधान होता है।

o पीएमएमवीवाई से संबंधित पूछताछ और शिकायतों के लिए पीएमएमवीवाई टोल-फ्री एवं बहुभाषी हेल्पलाइन (14408) उपलब्ध है।

o पारदर्शिता के उद्देश्य से, आवेदकों/लाभार्थियों को आवेदन के पंजीकरण, पंजीकरण की अस्वीकृति, भुगतान आदि जैसे विभिन्न चरणों पर एसएमएस प्राप्त होते हैं।

******

अनुलग्नक -I

दिनांक 25.07.2025 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 989 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पिछले पाँच वर्षों के दौरान राजस्थान में महिला सशक्तिकरण पहलों से लाभान्वित महिलाओं की संख्या का वर्ष-वार, जिला-वार विवरण

I. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

क्रम सं	जिला	2020-21			2021-22			2022-23			2023-24			2024-25		
		नामांकित लाभार्थी	भुगतान किए गए लाभार्थी	भुगतान किए गए राशि	नामांकित लाभार्थी	भुगतान किए गए लाभार्थी	भुगतान किए गए राशि	नामांकित लाभार्थी	भुगतान किए गए लाभार्थी	भुगतान किए गए राशि	नामांकित लाभार्थी	भुगतान किए गए लाभार्थी	भुगतान किए गए राशि	नामांकित लाभार्थी	भुगतान किए गए लाभार्थी	भुगतान किए गए राशि
	कुल	298710	451779	1377148000	347208	476480	1479177000	381712	566822	1813854000	397531	186182	73480200	412234	915462	3048017000
1	अजमेर	10743	15726	48198000	13405	18694	59440000	13769	20910	65225000	14637	9732	36897000	13059	31953	97147000
2	अलवर	14361	21778	65045000	18711	23537	72899000	20808	30140	98303000	14868	5123	19902000	20275	46695	155854000
3	बालोतरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	बांसवाड़ा	8169	13185	36528000	6004	7896	20137000	11475	14728	41189000	18055	7952	31287000	20899	37281	127152000
5	बारां	6898	11208	32399000	7845	11674	34563000	11690	18610	61090000	12021	6905	26399000	10363	24553	80577000
6	बाड़मेर	8537	11237	34968000	11812	13594	44891000	13893	19387	67090000	10539	5095	20673000	11678	28016	89540000
7	ब्यावर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	भरतपुर	14237	22232	72745000	14286	19258	60879000	14223	21558	68705000	13761	4748	19238000	15598	31378	115549000
9	भीलवाड़ा	9725	15093	45580000	13445	17206	53996000	14702	21100	70127000	13554	7190	29560000	13695	28546	99191000
10	बीकानेर	6400	8281	24736000	8792	10500	32921000	11395	15332	48427000	12067	6355	24775000	13248	35295	111778000
11	बूंदी	7130	11971	34303000	7427	11096	30529000	7676	12878	36962000	6478	2772	11227000	6748	17486	57405000
12	चित्तौड़गढ़	8474	11748	34354000	7929	12028	35655000	8155	13203	43256000	8430	5315	21329000	10453	23500	74133000
13	चुरू	10157	15254	48735000	10730	15468	49839000	13087	19070	64823000	14447	9862	40979000	13314	33528	106007000
14	दौसा	9043	14495	45953000	7940	11097	34537000	10024	14220	48235000	10492	6547	26201000	9338	17809	60854000

15	डीग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	धौलपुर	7753	11426	36662000	8329	11096	35923000	8207	12403	41259000	9791	5146	20475000	9038	20158	68145000
17	डीडवाना कुचामन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	डूंगरपुर	6989	8853	27811000	9617	12861	40743000	10361	14751	45787000	15292	7265	27679000	14315	26106	87868000
19	गंगानगर	9956	16778	48895000	11690	17897	52137000	10319	18083	52834000	10914	6303	24571000	11358	25641	81417000
20	हनुमानगढ़	8829	14703	44047000	10704	15829	48320000	9920	17229	53185000	12332	8688	34271000	12584	25039	82135000
21	जयपुर	27314	42961	129452000	30185	46449	139720000	27968	45764	139510000	24463	13111	50278000	29811	67287	215706000
22	जैसलमेर	525	446	1004000	2354	2789	8820000	2430	2910	8489000	3313	1241	4741000	2833	5826	21096000
23	जालौर	4247	5011	14649000	4692	5807	18618000	6788	8596	27457000	5724	1116	4307000	4648	16591	51632000
24	झालावाड़	7525	12309	35655000	8037	11126	33077000	9741	13854	42280000	11406	6055	23184000	11194	25016	85722000
25	झुंझुनूं	10205	15826	50395000	11818	16269	52639000	10691	17823	61006000	12593	7638	32638000	12339	23293	82624000
26	जोधपुर	12159	17032	50517000	19983	25230	79669000	16234	25112	82116000	15425	3368	13338000	18008	36465	127447000
27	करौली	7999	11263	35699000	5089	6339	19745000	8551	9765	32601000	8038	3581	14884000	8058	16720	57974000
28	खैरथल-तिजारा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	कोटा	6213	9924	32421000	7231	10032	33850000	7781	11281	39411000	8795	3394	11619000	8496	14743	51698000
30	कोटपूतली-बहरोड़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	नागौर	12354	16617	50801000	16239	20576	66701000	16889	26286	85699000	13227	5991	22788000	18391	38433	129264000
32	पाली	7958	12755	37515000	11504	13896	44461000	15227	20001	64092000	12073	3889	15650000	11473	22858	81094000
33	फलौदी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	प्रतापगढ़	4791	7813	23255000	4472	6019	17477000	6651	9190	29077000	7813	1164	4526000	9917	25161	81364000
35	राजसमंद	5719	8053	24397000	6642	9547	30779000	6073	8844	27619000	6970	3363	12281000	7662	17673	57548000
36	सलूंबर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	सवाई माधोपुर	5509	8355	26624000	7187	9463	30373000	7995	11179	36151000	10179	4795	19332000	8154	20757	70664000

38	सीकर	13137	21160	65002000	15943	23972	74734000	13969	23578	71625000	15122	7476	30077000	14398	38640	125063000
39	सिरोही	3632	4724	15085000	4072	5712	18531000	6300	8483	30496000	5930	3350	13794000	5474	13388	42879000
40	टोंक	8830	14385	40713000	9327	14157	38407000	8941	14682	39968000	9128	3848	14553000	9239	25013	76959000
41	उदयपुर	13192	19177	63005000	13767	19366	64167000	19779	25872	89760000	29654	7804	31349000	26176	54614	194531000

II. शक्ति सदन

वित्त वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्थान में महिला लाभार्थियों की संख्या	296	386	526	499	637

III. सखी निवास

वित्त वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्थान में महिला लाभार्थियों की संख्या	69	53	146	124	275

अनुलग्नक -II

दिनांक 25.07.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 989 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण
पिछले दो वर्षों के दौरान महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान राज्य सरकार को जारी/उपयोग किए गए अनुदानों का विवरण

(रूपए करोड़ में)

क्रम सं	**मिशन**	**योजना**	**वित्त वर्ष 2023-24**		**वित्त वर्ष 2024-25**	
			जारी की गई	**उपयोग की गई**	**जारी की गई**	**उपयोग की गई**
1.	मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0	आंगनवाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना	1091.96	880.87	741.85	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र/व्यय विवरण देय नहीं है।
2.	मिशन वात्सल्य (पूर्ववर्ती एकीकृत बाल संरक्षण योजना)		42.84	46.70	74.98	57.61
3.	मिशन शक्ति – संबल	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	6.75	4.59	0.00	3.04
		वन स्टॉप सेंटर	8.84	8.88	7.52	8.54
		महिला हेल्पलाइन	0.76	0.82	0.57	0.003
4.	मिशन शक्ति – सामर्थ्य	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	123.23	56.33	98.17	182.88
		शक्ति सदन (पूर्ववर्ती स्वधार गृह और उज्ज्वला)	1.17	0.69	0.10	0.00
		सखी निवास (पूर्ववर्ती कामकाजी महिला छात्रावास)	0.00	0.00	0.00	0.00
		महिला सशक्तीकरण केंद्र	3.43	-	0.00	-

*****